DESHKAL SOCIETY

वासभूमि का हक़

त्रैमासिक बुलेटिन

जनवरी–मार्च 2013

वासभूमि के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी सर्कुलर

सर्कुलर - एक (2.2.2012)

पत्रांक - 8/म.द. वि. यो. 37-12/2010

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,
डॉ. सी. अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव

सेवा में,
सभी प्रधान प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार!

पटना, दिनांक.....

विषय : महादलित विकास योजनांतर्गत सभी चारों स्रोतों से लक्ष्य के अनुरूप वासभूमि उपलब्ध कराने एवं असर्वेक्षित परिवारों का पुनः सर्वेक्षण करने के संबंध में।

प्रसंग : - अर्द्धसरकारी पत्र ज्ञापांक - 1097 (8) रा. / दिनांक - 19.12.2011 एवं विभागीय ज्ञापांक - 13 (8) रा. / दिनांक - 03.01.2012।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 15.01.2012 तक सभी चिह्नित वासरहित महादलित परिवारों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत गैरमजरुआ मालिक/ खास, गैरमजरुआ आम, बी. पी. पी. एच. टी. एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने एवं रैयती भूमि के क्रय नीति के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए वासभूमि हेतु लक्ष्य के अनुरूप रैयती भूमि के क्रय करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही इस अवधि में वयस्क होने के फलस्वरूप नया परिवार बन जाने अथवा अन्य किसी कारणवश सर्वेक्षण के क्रम में असर्वेक्षित रह गए वासभूमि रहित महादलित परिवारों का दिनांक 31.01.2012 तक पुनः सर्वेक्षण करने का निदेश भी दिया गया था।

2. जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर कुछ जिलों द्वारा महादलित विकास योजना के अंतर्गत चिह्नित वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिलों द्वारा उपलब्धि लक्ष्य से अत्यंत कम है। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ वैसे जिलों जिनके द्वारा चिह्नित

वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरुआ मालिक, गैरमजरुआ आम, बी.पी.पी. एच. टी. एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल नहीं की गई है, उन्हें दिनांक 15.02.2012 तक शत-प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाए। साथ ही वैसे जिलों जिनके द्वारा रैयती भूमि के क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है, को निदेशित करने की कृपा की जाए कि रैयती भूमि की क्रय नीति के अंतर्गत रैयती भूमि के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए दिनांक 15.02.2012 तक लक्ष्य के अनुरूप रैयती भूमि का क्रय सुनिश्चित करें।

3. किसी भी जिला द्वारा वासरहित महादलित पि. रवारों के सर्वेक्षण के उपरांत नए परिवार अथवा सर्वेक्षण के क्रम में छूट गए परिवारों का पुन: सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जिलों को दिनांक 15.02.2012 तक निश्चित रूप से पुन: सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
ह./-
(सी. अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव
ज्ञापांक-.....178 (8) रा.....दिनांक: 2.2.2012

प्रतिलिपि - सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

सर्कुलर - दो (19.12.2011)

पत्रांक..... दिन.
ंक.....

अ. स. पत्रांक पटना दिनांक : .....

प्रिय

विषय: महादलित श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों को 3 डी. वासभूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अपने अधीनस्थ जिलों में महादलित विकास योजनांतर्गत के महादलित श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती द्वारा 3 डी. वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है वहां महादलित योजनांतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अंतर्गत रैयती भूमि का क्रय कर 3 डी. वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

1. **गैर मजरुआ मालिक/ खास भूमि की बंदोबस्ती** – महादलित श्रेणी के वास-रहित परिवारों के लिए 3 डी. गैरमजरुआ मालिक/ खास भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त है। कृपया अपने स्तर से इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाए तथा उन्हें निदेशित किया जाए कि महादलित श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को 15 जनवरी, 2012 तक 3 डी. गैर मजरुआ मालिक/ खास की बंदोबस्ती सुनिश्चित किया जाए।

2. **गैर मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती** – मह. ादलित श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को 3 डी. गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को है। अत: अपने स्तर से अपने अधीनस्थ जिलों को वासभूमि रहित चिह्नित महादलित श्रेणी के परिवारों को गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती का प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए तथा

15 जनवरी, 2012 तक 3 डी. गैर-मजरुआ आम भूमि सभी चिह्नित वासभूमि रहित महादलित श्रेणी के परिवारों को बंदोबस्त करने की कृपा की जाए।

3. **बी.पी.पी.एच.टी. एक्ट के तहत कार्य** – बी. पी.पी.एच.टी. एक्ट, 1947 के तहत पर्चा देने की शक्ति संबंधित अंचल अधिकारी में निहित है। अत: अपने अधीनस्थ सभी जिलों को निदेशित करने की कृपा की जाए कि वासभूमि रहित महादलित श्रेणी के चिह्नित परिवारों को 15 जनवरी, 2012 तक उपर्युक्त अधिनियम के तहत पर्चा देना सुनिश्चित करें।

4. **महादलित विकास योजनांतर्गत क्रय नीति** – महादलित श्रेणी के वैसे वासभूमि रहित परिवार जिन्हें सरकारी भूमि की बंदोबस्ती अथवा बी. पी. पी. एच. टी. एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उन्हें महादलित विकास योजनांतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 के अंतर्गत 20,000/- रु. प्रति 3 डी. की वित्तीय अधिसीमा के अधीन त्रिपक्षीय क्रय द्वारा 3 डी. प्रति परिवार वासभूमि उपलब्ध कराने की नीति वर्ष 2010 से राज्य में लागू है। इसके अंतर्गत भूमि का मूल्य निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य में 50 प्रतिशत जोड़कर (20,000/- रु. प्रति 3 डी. के अधीन) भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाना है। इस हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को सहायता-दाता घोषित किया गया है। महादलित श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों के लिए रैयती भूमि के क्रय हेतु सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। अत: अपने अधीनस्थ जिलों को निदेशित करने की कृपा की जाए कि इस हेतु उपलब्ध कराई गई राशि द्वारा 15 जनवरी, 2012 तक रैयती भूमि का क्रय चिह्नित वासभूमि रहित महादलित श्रेणी के परिवारों को 3 डी. वास भूमि उपलब्ध करा दी जाए। जहां निर्धारित वित्तीय अधिसीमा में रैयती भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां मुख्य सड़क से दूर कृषि भूमि, गड्ढा इत्यादि अपेक्षाकृत सस्ती भूमि जो निर्धारित वित्तीय अधिसीमा में उपलब्ध है, का क्रय कर वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

शुभकामना सहित

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
बिहार

भवदीय
(सी. अशोकवर्धन)

ज्ञापांक: 1097 (8) रा.

पटना, दिनांक
19-12/2011

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि महादलित के वासभूमि रहित परिवारों को सभी स्रोतों से 15 जनवरी, 2012 तक 3 डी. वासभूमि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(सी. अशोकवर्धन)

सर्कुलर - तीन (5.1.2010)

पत्रांक 6/खा. म. नीति 02/2009-03 (6) रा.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,
डॉ. सी. अशोकवर्धन
प्रधान सचिव।

सेवा में,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
पटना, दिनांक: .....

विषय: महादलित विकास योजनांतर्गत वास-भूमि रहित महादलित परिवारों के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

प्रसंग : 1. राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या A/M-48/693-44R दिनांक 14-15 जनवरी, 1969

2. राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या - 8/खा. म. नीति 1010/82-1857/सा. दिनांक-18.05.1982

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में वासभूमि रहित महादलित परिवारों के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय लिया है। एतदर्थ प्रसंगाधीन पन्नों में आंशिक रूप से संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार इस परिपत्र के निर्गत किए जाने वाले अनुदेशों के आलोक में प्रसंगाधीन पत्रों को संशोधित समझा जाए।

राज्य के सभी प्रमंडीलय आयुक्तों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वासभूमि रहित महादलित परिवारों के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है :

(i) प्रस्तावित गैर-मजरुआ आम भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो चुका हो तथा वह सार्वजनिक उपयोग में नहीं रह गई हो परंतु भू-अभिलेख में जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह से संबंधित प्रविष्टि दर्ज होने पर किसी अन्य प्रयोजन से बंदोबस्ती के पूर्व जांच कर संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह के लिए उसका विकास या पुनरुद्धार संभव है या नहीं। यदि प्रमंडलीय आयुक्त का अपना यह निष्कर्ष हो कि यह कतई संभव नहीं है, तभी इस प्रकार की गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती वे कर सकेंगे।

(ii) भू-अभिलेख में जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह के रूप में प्रविष्ट प्रत्येक मामले की स्थानीय जांच हेतु संबंधित समाहर्ता एक समिति का गठन करेंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) अपर समाहर्ता – अध्यक्ष

(ख) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी – सदस्य

(ग) संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन–सदस्य

(घ) संबंधित अंचल अधिकारी – सदस्य

(iii) अंचल अधिकारी के स्तर से इस प्रकार के मामले की सूचना दिए जाने पर अपर समाहर्त्ता समिति की बैठक आहूत करेंगे। समिति स्थलीय जांच के उपरांत अपना प्रतिवेदन समाहर्त्ता को समर्पित करेगी। तदुपरांत समाहर्त्ता समिति के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल पदाधिकारी को उचित माध्यम से प्रस्ताव / अभिलेख उपस्थापित करने का आदेश देंगे। समिति का प्रतिवेदन विचारगत अभिलेख का अंग होगा जो समाहर्त्ता के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त को उपस्थापित किया जाएगा। समिति के सदस्यों के बीच मतांतर की स्थिति में उक्त मामले में संबंधित, जिला के समाहर्त्ता जांचोपरांत अंतिम निर्णय लेंगे एवं प्रमंडलीय आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे जिसके साथ समिति का प्रतिवेदन भी संलग्न रहेगा।

(iv) आप अवगत हैं कि विभागीय परिपत्र संख्या - 8/भू.सु. - पंचायत - 22/ 2001-732/ सं. दिनांक - 26.09.2001 के द्वारा यह पूर्व में निदेशित है कि गैर-मजरुआ आम भूमि की प्रकृति में परिवर्तन एवं भूमि बंदोबस्ती से संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यह अनुदेश पूर्ववत जारी रहेगा। तदनुसार समाहर्त्ता इस परिपत्र के तहत मंडलीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजने के

पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि प्रस्तावित गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती के लिए आम सूचना का तामिल होने के उपरांत विधिवत संबंधित पंचायत की ग्राम सभा की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है एवं ग्राम सभा की कार्यवाही अभिलेख में संलग्न है।

(v) बंदोबस्ती कम से कम 50% महिलाओं के साथ की जाएगी तथा शेष बंदोबस्ती महिला एवं पुरुष लाभुकों के साथ संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही एकल परिवार यथा कुंआरे या विधुर तथा परित्यक्ता को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

(vi) अधिकतम 3 (तीन) डिसमिल प्रति परिवार के अनुसार गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी।

(vii) समाहर्त्ता, प्रमंडलीय आयुक्त को यथा-संभव एक ही स्थान पर संकुल के रूप में बंदोबस्ती करने का प्रस्ताव भेजने पर ध्यान देंगे ताकि आवासीय परिसर का समुचित विकास हो सके एवं विभिन्न विभागों की अनुमान्य गतिविधियों का संकेंद्रण हो सके।

(viii) भूमिहीन महादलित परिवारों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के साथ गैर-मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती पूर्व की भांति सरकार के स्तर से ही की जाएगी।

प्रमंडलीय आयुक्त समाहर्त्ता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बंदोबस्ती के पूर्व पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति सरकार को देंगे।

प्रसंगाधीन विभागीय परिपत्रों की प्रतिलिपि सुलभ निदेशार्थ संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन
(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा.म. नीति-02/2009 - 03 (6) रा. पटना,

दिनांक : 5/1/2010

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पट्टेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा.म. नीति-02/2009 - 03 (6) रा. पटना,

दिनांक: 5/1/2010

प्रतिलिपि : सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को विभागीय अनुदेश से अवगत कराया जाए।

(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा.म. नीति-02/2009 - 03 (6) रा. पटना,

दिनांक : 5/11/2010

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-6/खा.म. नीति-02/2009 - 03 (6) रा. पटना,

दिनांक : 5/1/2010

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी. अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

इस बुलेटिन के लिए पैक्स परियोजना
से आर्थिक सहयोग मिला है।
इसमें व्यक्त किए गए विचार
देशकाल सोसायटी के हैं। इसका संबंध
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
पैक्स से नहीं है।

DESHKAL SOCIETY

देशकाल सोसायटी

205 द्वितीय तल, इन्द्रा विहार दिल्ली-110 009
टेली फैक्स : 011-2765 4895
E-mail : deshkal@gmail.com
Website : www.deshkalindia.com

क्षेत्रीय कार्यालय
नूतन नगर, न्यू एरिया, गया, बिहार
फोन : 0631-2220539